(41)

संo–1128/IV(2)-शoविo–11–16(मुoमoघोo)/11

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 2 दिसम्बर, 2011**

विषयः कोटद्वार स्थित बुद्ध पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद, कोटद्वार (पौडी गढवाल) के पत्रांक–12/9/मा0मु0घो0/बु0पा0सौ0 667/11–12, दिनांक 01–09–2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–667/2011 "कोटद्वार में एक मात्र पार्क "बुद्ध पार्क" के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी"** की पूर्ति हेतु नगर पालिका परिषद् कोटद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रेषित प्राक्कलन ₹ 23.68 लाख को टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ₹ 21.22 लाख संस्तुत किये गये है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त परियोजना हेतु टी0ए0सी द्वारा संस्तुत ₹ 21.22 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
5. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। कार्य अनुमोदित आगणन की सीमा में ही सम्पादित किया जाना है। कार्य की लागत का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक ''2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास'' के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–498/XXVII(2)/2011, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0–1128/IV(2)-श0वि0–11–16(मु0म0घो0)/11,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
6. जिलाधिकारी, पौडी–गढ़वाल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोटद्वार।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।